

समक्ष भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार
सिविल अपील सं. -----वर्ष 2023

एसएलपी (सी) संख्या 13564/2021 से उद्धृत)

आरती दीक्षित एवं एक अन्य अपीलकर्ता (गण)

बनाम

सुशील कुमार मिश्रा एवं अन्य प्रतिवादी (गण)

निर्णय

न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ

1. अनुमति प्रदान की गई।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ एक पक्षीय डिक्री प्राप्त की। डिक्री बेदखली, बकाया किराया, करों, क्षतिपूर्ति आदि की वसूली के लिए थी। यह डिक्री 18.10.2012 को पारित की गई थी। अपीलकर्ताओं ने दिनांक 06.05.2014 को आदेश IX नियम 13 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता (एतश्मिनपश्चात 'सीपीसी' के रूप में संदर्भित) के तहत आवेदन दायर दिया जिसमें यह दावा किया गया था कि उन्हें डिक्री के बारे में निष्पादन कार्यवाही के समय 05.04.2014 को जानकारी हुई। इसे 4C के रूप में अंकित किया गया था। उसी दिन, प्रांतीय लघु वाद न्यायालय अधिनियम 1887 (एतश्मिनपश्चात

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 17 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था।

3. अधिनियम की धारा 17 इस प्रकार है:

"17. सिविल प्रक्रिया संहिता का लागू होना. – (1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में निर्धारित प्रक्रिया, जहां तक अन्यथा उस संहिता द्वारा या इस अधिनियम द्वारा उपबंधित किया गया है,] उसके द्वारा संज्ञेय सभी मुकदमों में और इस तरह के मुकदमों से उत्पन्न होने वाली सभी कार्यवाहियों में एक लघु वाद न्यायालय में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:

बशर्ते कि आवेदक, डिफेंडी को अपास्त करने के आदेश के लिए जिसे एकपक्षीय रूप से पारित किया गया हो या निर्णय की समीक्षा के लिए, आवेदन देते समय, या तो अदालत में डिफेंडी के तहत या निर्णय के अनुसरण में देय राशि जमा करेगा, या डिफेंडी के निष्पादन या निर्णय के अनुपालन के रूप में ऐसी प्रतिभूति देगा जो न्यायालय, उसके द्वारा इस संबंध में किए गए पिछले आवेदन पर, निर्देशित करे।

(2) जहां कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के परंतुक के तहत प्रतिभू के रूप में उत्तरदायी हो गया हो, प्रतिभूति की वसूली सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 145 द्वारा उपबंधित के रूप में की जा सकती है। "

(प्रभाव वर्धित)

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

4. धारा 17 के तहत आवेदन की प्रासंगिक अन्तर्वस्तु और मांगी गई राहत इस प्रकार थी:

"3. यह कि आवेदक माननीय न्यायालय से प्रार्थना करते हैं कि न्याय के हित में 98,624/- (रुपये अठानवे हजार छह सौ चौबीस मात्र) जिसमें डिक्रीअल राशि, मुआवजा, किए गए व्यय आदि शामिल हैं, की कुल राशि जमा करने / भुगतान करने की अनुमति दें जिसमें से उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1972 की धारा 30(1) के अन्तर्गत रु0 12,600/- (बारह हजार छः सौ मात्र) की राशि पहले ही जमा करायी जा चुकी है एवं शेष राशि रु0 86,024 / - (रुपये छियासी हजार चौबीस मात्र), है, जिसके लिए, आवेदक रुपये 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) की राशि की प्रतिभूति प्रस्तुत करने का और माननीय न्यायालय के समक्ष शेष राशि जमा करने का इरादा रखते हैं ।

4. यह कि आवेदक रुपये 36,024/- (रुपये छत्तीस हजार चौबीस मात्र), की नकद राशि जमा करने के लिए निविदा आवेदन संलग्न कर रहे हैं। ऐसी राशि जमा कराने हेतु निविदा पारित करना न्याय हित में उचित होगा।

प्रार्थना

अतः इस माननीय न्यायालय से विनम्र निवेदन है कि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रांतीय लघु वाद अधिनियम, 1800 की धारा 17 के अनुपालन में आवेदन के साथ संलग्न निविदा पारित करके रुपये

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

50,000 /- (रुपये पचास हजार केवल) की प्रतिभूति राशि जमा करने/प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करें। । "

(प्रभाव वर्धित)

5. इस एप्लिकेशन को 8C के रूप में क्रमांकित किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 12.05.2014 को इस प्रार्थना के साथ एक आवेदन दाखिल किया गया कि नगर निगम के स्वामित्व वाली किराए की दुकान के रूप में प्रतिभूति को अभिलेख में लिया जाए। इस आवेदन को अनुमति या स्वीकृति 24.05.2014 को दी गई यह विवाद का एक ऐसा बिंदु है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और विचार किया जाना चाहिए। प्रतिभू कोई अभिषेक दीक्षित (इस अपील में 7 वां प्रोफार्मा प्रतिवादी) था। यह 14 सी के रूप में क्रमांकित आवेदन था। दिनांक 23.09.2015 को, ट्रायल कोर्ट ने अधिनियम की धारा 17 के तहत दायर आवेदन 8 सी को खारिज कर दिया। आदेश, अन्य बातों के साथ, निम्नानुसार है:

"उपरोक्त तर्कों/बहसों के आलोक में, मैंने रिकॉर्ड फ़ाइल का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और पाया कि बहाली आवेदन यानी 08 सी को 06.05.2014 को ही प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इस आवेदन की तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के समक्ष पुष्टि नहीं की गई थी, लेकिन आवेदन यानी 8 सी जमा करने के बाद , इसे न्यायालय के समक्ष आवेदन अर्थात् 14 सी प्रस्तुत किया गया है, जिसे न्यायालय द्वारा 24.05.2015 को स्वीकार किया गया था, लेकिन इसके साथ आवश्यक मुआवजा जमा नहीं किया गया था। इसलिए, आवेदन अर्थात्, 08 सी पर आवेदन यानी 14 सी जमा करने के बाद फिर से आदेश पारित करने की कोई प्रासंगिकता नहीं

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

रह गई थी। उपरोक्त परिस्थितियों में, आवेदन यानी 08 सी बेकार हो गया है क्योंकि आवेदन 14 सी पहले से ही तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा 24.05.2014 को स्वीकार किया जा चुका है। इसलिए, इस स्तर पर, आवेदन यानी 08 सी की कोई प्रासंगिकता नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।"

(प्रभाव वर्धित)

6. इस आदेश को अपीलकर्ताओं द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण दायर करके चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के निम्नलिखित भाग पर ध्यान देना प्रासंगिक है:

"पुनरीक्षण याचीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री उमेश नारायण शर्मा और उनके सहयोगी विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र कुमार को और विपक्षी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री डब्ल्यू. एच. खान व उनके सहयोगी विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद श्रीवास्तव को सुना। वर्तमान पुनरीक्षण 23.09.2015 दिनांकित आदेश के खिलाफ दायर किया गया है जिसे विद्वान अपर जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ईसी अधिनियम) कानपुर नगर द्वारा विविध मामला संख्या 11/74/2014 में पारित किया गया, जिसमें आवेदन पत्र संख्या 8-सी लघुवाद न्यायालय अधिनियम की धारा 17 के तहत पुनरीक्षण याचियों के द्वारा दायर किया गया था जिसे लघुवाद केस संख्या 27/2012 में पारित एकपक्षीय निर्णय और डिक्री दिनांकित 18.10.2013 के कारण खारिज कर दिया गया है। प्रतिवादी पुनरीक्षण याचियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि एससीसी वाद में पुनरीक्षण याचियों को कोई नोटिस तामील नहीं की गई थी

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

और प्रतिवादी-पुनरीक्षण याचियों के खिलाफ एकतरफा आदेश पारित किया गया और निष्पादन कार्यवाहियों में भी कोई नोटिस नहीं दी गई थी जिसके खिलाफ आदेश IX नियम 13 सीपीसी के तहत आवेदन किया गया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि लघु वाद न्यायालय अधिनियम की धारा 17 के तहत आवेदन दायर किया गया था जो कि लंबित है जोकि वैधानिक अवधि के भीतर दायर की गई थी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि फिर से वैधानिक अवधि के तहत एक और आवेदन दायर किया गया था, जिसमें प्रतिभू को स्वीकार किया गया था, जिसे एक वर्ष के बाद विद्वत अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर लिया था। इसके बाद पहले आवेदन पत्र सं. 8 ग को आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया जो वर्तमान पुनरीक्षण में आक्षेपित है। विपक्षी की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री डब्ल्यू.एच. खान व उनके सहयोगी विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद श्रीवास्तव का कहना है कि एक बार प्रतिभू को स्वीकार कर लिए जाने के बाद, पहले का आवेदन निरर्थक हो गया है जो वर्तमान संशोधन में आक्षेपित आदेश है, इसलिए पुनरीक्षण याचियों को कोई भी प्रतिकूलता नहीं मिली है। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों के मद्देनजर इस न्यायालय की राय है कि एक बार प्रतिभू को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर जैसा कि विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता श्री डब्ल्यू.एच.खान द्वारा भी कहा गया है, इस मामले को शीघ्रता से निर्णीत करने का निर्देश दिया जा सकता है, तदनुसार इसे इस कारण निर्देशित किया जाता है। उपरोक्त निर्देशों के साथ, इस पुनरीक्षण को निस्तारित किया जाता है।”

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

(प्रभाव वर्धित)

7. यह आदेश दिनांक 03.12.2015 को पारित किया गया था। उक्त आदेश के आधार पर विचारण न्यायालय ने दिनांक 07.12.2016 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए पाया कि अपीलकर्ताओं ने अधिनियम की धारा 17 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया है। सीपीसी के आदेश IX नियम 13 के तहत आवेदन पेश करने के समय अधिनियम, और हालांकि आवेदन संख्या 14 सी के आधार पर आवेदन 8 सी को आदेश दिनांकित 23.09.2015 द्वारा खारिज कर दिया गया था, इस निर्णय के मद्देनजर केदारनाथ बनाम मोहन लाल केसरवरी एवं अन्य में न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ता ने डिक्री की राशि जमा करने के संबंध में अधिनियम की धारा 17 (1) का अनुपालन किया था और उच्च न्यायालय के प्रतिभूति 'स्वीकार किए जाने के आदेश को ध्यान में रखते हुए भी ' यह पाया गया कि अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति भी पर्याप्त थी। आगे यह पता चला कि अपीलकर्ताओं पर समन की तामील का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। इसलिए, आदेश IX नियम 13, (4C) के तहत आवेदन को 1500 रुपये की लागत के साथ अनुमति दी गई थी। बदले में, इस आदेश को अपर जिला न्यायाधीश, कानपुर (शहरी) के समक्ष चुनौती दी गई थी। दिनांक 01.08.2017 के आदेश द्वारा आदेश दिनांक 07.12.2016, 23.09.2015 एवं 04.10.2016 के आदेशों को 'खारिज' कर दिया गया तथा अन्य बातों के साथ-साथ यह पाया गया कि:

"26. न्यायिक दृष्टांत अर्थात् केदारनाथ (ऊपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के स्पष्ट दृष्टिकोण से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्धांत स्थापित किया, ऐसा सिद्धांत पूरी तरह से माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा न्यायिक उद्धरण यानी राजकुमार

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

मखीजा (ऊपरोक्त) के मामले में स्पष्ट किया गया। यदि यह उपरोक्त दोनों कानूनी सिद्धांतों के विपरीत कोई पूर्व स्थापित कानूनी सिद्धांत है, तो ऐसी परिस्थितियों में, इसे स्थापित सिद्धांत पर वरीयता नहीं दी जा सकती है। यह अनिवार्य है और पुनरीक्षण आवेदन पर विचार करने से पहले, विद्वान विचारण न्यायालय को अवश्य ही इस तथ्य से संतुष्ट होना चाहिए कि उपरोक्त धारा 17 का पालन किया गया है या नहीं? और इस तरह की संतुष्टि को बाद के चरण के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। वर्तमान मामले में, प्रांतीय लघु वाद अधिनियम की धारा 17 के तहत आवेदन पत्र संख्या 28C प्रस्तुत किया गया था। वास्तव में आज तक, उस पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है और 23.09.2015 को आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि पहले से ही आवेदन अर्थात दस्तावेज संख्या 34 सी पर आदेश पारित किया जा चुका है। आवेदन यानी दस्तावेज सं. 34 सी को केवल इस आशय से प्रस्तुत किया गया था कि प्रतिभूति को रिकॉर्ड पर लिया जाना है, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था, इसका मतलब है कि प्रतिभू को रिकॉर्ड पर ले लिया गया था, लेकिन इस आदेश पर विचार नहीं किया जा सकता है कि प्रतिभूति को पर्याप्त विचार/अनुमानित करके स्वीकार किया गया था।

तत्पश्चात पुनः जब न्यायालय के निर्देश पर प्रतिवादी की ओर से आवेदन पत्र अर्थात दस्तावेज सं. 90 सी और 102 सी प्रस्तुत किया गया, ऐसी परिस्थितियों में इस तरह के आवेदनों पर कोई उचित आदेश पारित नहीं किया गया था। यदि इन परिस्थितियों में

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

यह देखा जाता है, तो प्रतिभू स्वीकार करने के लिए कोई आदेश नहीं दिया गया है, इसके अभाव में, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि यह प्रांतीय लघुवाद अधिनियम की धारा 17 के प्रावधान का किसी भी स्थिति में अनुपालन नहीं करता है। लेकिन केदारनाथ के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित सिद्धांत के रूप में कि न्यायालय की ओर से आदेश पारित करने में देरी करने की स्थिति में प्रतिवादी को दोषी या डिफॉल्टर घोषित नहीं किया जा सकता है, वर्तमान मामले में भी, यह पुनरीक्षण न्यायालय प्रतिवादियों को दोषी / डिफॉल्टर घोषित नहीं कर सकता है।

27. क्या प्रतिवादी ने प्रांतीय लघु वाद न्यायालय अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों का पालन किया या नहीं? यह एक तथ्य का प्रश्न है और इसे केवल विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा ही तय/अधिनिर्णित किया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, यह विधि के स्थापित सिद्धांत के अनुसार नहीं था उपरोक्त धारा 17 के अनुपालन के संबंध में ठोस निष्कर्ष के बिना पुनरीक्षण याचिकाकर्ता को कानून के प्रावधान और आक्षेपित आदेश रद्द करने योग्य है। "

(प्रभाव वर्धित)

8. तत्पश्चात् निम्नलिखित आदेश दिया गया:

"पुनरीक्षण स्वीकार किया जाता है। आक्षेपित आदेश दिनांक 07.12.2016 और आदेश दिनांक 23.09.2015 और 04.10.2016 को क्रमशः खारिज किया जाता है और यह निचली

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

अदालत को निर्देश है कि सबसे पहले वादी की आपत्तियों के आलोक में, प्रांतीय लघुवाद अधिनियम की धारा 17 या जमा राशि पर अपनी रिपोर्ट के संबंध में गैर-अनुपालन और प्रस्तुत प्रतिभू यानी दस्तावेज संख्या 16C/36C के अनुपालन के बाद डिक्री पारित करें।" और उसके बाद पुनरीक्षण याचिका पर पक्षकारों की सुनवाई पर कानून के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार उचित आदेश पारित करें। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, पक्षकार अपने-अपने खर्च का वहन करेंगी। रिकॉर्ड फ़ाइल वापस करें। पक्षकारों को 24.08.2017 को विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। "

(प्रभाव वर्धित)

9. उपरोक्त आदेश के आधार पर विचारण न्यायालय ने दिनांक 11.02.2019 के आदेश द्वारा धारा 17 के अन्तर्गत दिनांक 06.05.2014 के आवेदन और दिनांक 12.05.2015 के आवेदन को भी खारिज कर दिया। अपीलकर्ताओं द्वारा प्रदान किया गया प्रतिभू भी खारिज कर दी गई थी। अपीलकर्ताओं द्वारा दायर पुनरीक्षण में एडीजे द्वारा आदेश दिनांक 26.02.2021 द्वारा इस आदेश की पुष्टि की गई। यह पाया गया कि एडीजे द्वारा पारित आदेश दिनांकित 01.08.2017 विचारण न्यायालय के लिए बाध्यकारी था। हम निम्नलिखित तर्कों पर ध्यान देते हैं:

"...उपरोक्त संपूर्ण बहस के आधार पर यह स्पष्ट है कि आवेदक सं. 3 अर्थात् अभिषेक दीक्षित उस दुकान की भूमि का स्वामी नहीं है जिसके पुनरीक्षणवादियों/आवेदकों की आवेदक सं. 3 अर्थात् अभिषेक दीक्षित को दुकान के प्रतिभू के रूप में प्रस्तुत किया गया था एवं दुकान की उपरोक्त भूमि का स्वामित्व नगर निगम कानपुर

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

महानगर, कानपुर में निहित है। अतः सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के प्रावधानों के तहत प्रतिभूति को उक्त दुकान को बेचकर वसूली नहीं की जा सकती है क्योंकि दुकान की उक्त भूमि पर नगर निगम, कानपुर महानगर, कानपुर का स्वामित्व अधिकार निहित है। आवेदक सं. 3 अर्थात् अभिषेक दीक्षित उक्त दुकान की भूमि का स्वामी नहीं है।

..... माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा न्यायिक उद्धरण / निर्णय अर्थात् राजकुमार मखेजा एवं अन्य बनाम मैसर्स एस.के.एस. एंड कंपनी एवं अन्य, 2012 (3) ए.आर.सी. 117 में स्थापित सिद्धांत के अनुसार, अब इस स्तर पर प्रतिभू पेश करने के लिए पुनरीक्षण याचियों को समय सीमा प्रदान/विस्तारित नहीं की जा सकती क्योंकि अब, प्रतिभू पेश करने की सीमा अवधि समाप्त हो गई है। इस तरह, यह स्पष्ट है कि आवेदकों/पुनरीक्षण याचियों ने प्रांतीय लघुवाद अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों का पूरी तरह पालन नहीं किया है। "

10. इसके बाद अपीलकर्ताओं ने एडीजे द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.08.2017, विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.02.2019 और एडीजे द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.02.2021 को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। निष्पादन मामले में एडीजे द्वारा पारित 09.03.2021 दिनांकित आदेश, जिसमें एकपक्षीय डिक्री के आधार पर अपीलकर्ताओं को बेदखल करने का आदेश दिया गया था, को भी चुनौती दी गई थी।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

11. आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया है। अन्य बातों के साथ-साथ, उच्च न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि प्रतिभू को मुक्त करने के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था। बल्कि प्रतिभूति देने के लिए अनुमति मांगी गई थी। आगे यह पाया गया कि धारा 17 की आवश्यकता अनिवार्य है और प्रतिभू प्रस्तुत किए बिना आवेदन दाखिल करना और उससे छूट के लिए कोई प्रार्थना नहीं करना अपीलकर्ताओं के खिलाफ जाएगा। यह पाया गया कि केवल एक आवेदन (14 सी) दिनांक 12.05.2014 को दायर किया गया था, जिसमें प्रार्थना केवल 'आवेदन को अभिलेख में रखने' की थी। दिनांक 24.05.2014 को आवेदन को अभिलेख पर रखने का आदेश पारित किया गया था। यह पाया गया कि आवेदन (14 सी), सीपीसी के आदेश IX नियम 13 के तहत आवेदन दाखिल करने के बाद किया गया था। दिनांक 24.05.2014 को 50,000 / - रुपये की राशि की प्रतिभूति जमा की गई थी। यह पाया गया कि केदारनाथ (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय यह धारित नहीं किया है कि जहां अक्षम प्रतिभू प्रस्तुत किया गया हो, न्यायालय उससे छूट दे सकता है। यह भी पाया गया कि अपीलकर्ताओं द्वारा अवलंबित निर्णय लागू नहीं होंगे क्योंकि दिनांक 23.09.2015 के आदेश से पहले उचित प्रतिभू देने के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना करने के बजाय, अपीलकर्ताओं ने मुकदमेबाजी का सहारा लिया और किसी भी स्तर पर उन्होंने विधि के अनुसार प्रतिभू प्रस्तुत नहीं किया। यह पाया गया कि विधि के प्रश्न के संबंध में एक अधिवक्ता द्वारा रियायत, पक्षकार के लिए बाध्यकारी नहीं थी। यह वादीगण के वरिष्ठ अधिवक्ता के कथन के आधार पर अपीलकर्ताओं की दलीलों पर विचार करने के कारण है जो हाईकोर्ट के आदेश जिसे हमने उद्धृत किया है, से परिलक्षित होता है।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

12. हमने अपीलकर्ताओं की ओर से श्री प्रणय कुमार महापात्र को सुना। हमने प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता एस.आर. सिंह को भी सुना।

अपीलकर्ताओं के तर्क

13. अपीलकर्ताओं ने सीपीसी के आदेश IX नियम 13 के तहत आवेदन के साथ-साथ अधिनियम की धारा 17 के तहत एक ही दिन, यानी 06.05.2014 को आवेदन दिया था। विचारण न्यायालय ने धारा 17 के तहत 06.05.2014 दिनांकित आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया था। धारा 17 के तहत आवेदन उसी दिन दायर किया जा रहा है जिस दिन आदेश IX नियम 13 के तहत एक आवेदन केदारनाथ (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में वैध रूप से दायर किया गया था। न्यायालय द्वारा धारा 17 के तहत 06.05.2014 दिनांकित आवेदन पर आदेश पारित न करना गलत था। न्यायालय की गलती के कारण अपीलकर्ताओं को कष्ट नहीं दिया जा सकता। 24.05.2014 को, प्रतिभूति को रिकॉर्ड पर लेने के लिए दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया गया। आवेदन (14 सी) में प्रार्थना को 'रिकॉर्ड पर ले लिया गया।' धारा 17 के तहत दिनांक 06.05.2014 का पहले का आवेदन विचारण के लिए लंबित था। जिस प्रतिभूति को स्वीकार किया गया था, वह दुकान संख्या 25 थी। उसे नगर परिषद, कानपुर द्वारा आवंटित किया गया था। आवंटन के लिए, रु. 85,000 / - की राशि स्थानीय निकाय द्वारा प्राप्त किया गया था, जिसे जमा कर दिया गया था। एक बार प्रतिभूति स्वीकार कर लिए जाने पर, निर्धारित अवधि के बाद पाई जाने वाली कोई भी कमी, अपीलकर्ताओं के सामने नहीं लाई जा सकती। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा भगवानदास अरोड़ा बनाम प्रथम एडीजे रामपुर के मामले में दिए गए निर्णय का अवलंब लिया गया। इसके अलावा, भगवान दास अरोड़ा बनाम प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, रामपुर एवं अन्य के

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

मामले में इस न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया गया। विचारण न्यायालय ने दो साल बाद अर्थात्, 29.03.2015 को प्रतिभूति के संबंध में 'अपर्याप्त प्रतिभूति' कहते हुए आदेश पारित किया। विचारण न्यायालय को निर्धारित अवधि के भीतर 'पर्याप्त प्रतिभूति' के संबंध में निर्देश देना था। यदि वह पारित किया गया होता और विचारण न्यायालय 'पर्याप्त प्रतिभूति' के संबंध में सवाल उठाता है, तो अपीलकर्ता न्यायालय के आदेश के बिना अन्य प्रतिभूति या नकदी जमा न करता। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.12.2015 पर अवलंब लिया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को देखते हुए, पदानुक्रमित व्यवस्था में, एडीजे ने उच्च न्यायालय के आदेश की अनदेखी करके गलती की। हमें ध्यान आता है कि एडीजे का आदेश दिनांकित 01.08.2017 को भी रिट याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। मामले के मेरिट पर विचार किया जाना चाहिए।

प्रतिवादी सं. 1 से 6 के तर्क

14. धारा 17 के तहत आवश्यकताएं अनिवार्य हैं। प्रतिभूति दिनांक 06.05.2014 को नहीं बल्कि 24.05.2014 को दायर की गई थी। इसलिए, धारा 17 (1) के परंतुक की अनिवार्य शर्त का पालन नहीं किया गया था। न्यायालय को आवेदन अन्तर्गत धारा 17 (8 सी) दिनांकित 06.05.2014 पर प्रतिभूति की प्रकृति का संकेत देते हुए एक आदेश पारित करना चाहिए था जो डिक्री के लिए पर्याप्त होता। हालांकि, यह तर्क दिया गया था कि यह स्पष्ट नहीं है कि अपीलकर्ताओं ने धारा 17 के तहत दिनांक 06.05.2014 के आवेदन पर क्यों बल नहीं दिया और प्रतिभूति के लिए अन्य आवेदन दायर किया। इसलिए, न्यायालय की ओर से धारा 17 के तहत दिनांकित 06.05.2014 आवेदन पर आदेश पारित करने में विफलता अपीलकर्ताओं को यह दावा करने का अधिकार

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

देने वाला कारक नहीं हो सकता है कि एक आदेश के अभाव में, वे पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। यह इस कारण से है कि उन्हें अधिनियम की धारा 17 (2) के संबंध में ज्ञात होना चाहिए कि प्रतिभूति ऐसी होनी चाहिए जो विधि में प्रवर्तनीय हो। जो प्रतिभूति दी गई, उसमें दुकान का कमरा शामिल था, जो नगर निगम का था, न कि श्री अभिषेक दीक्षित (प्रतिभू) का, जो तीसरा रिट याचिकाकर्ता था और जिसे अपील में प्रोफार्मा प्रतिवादी संख्या 7 के रूप में दिखाया गया है। प्रतिभूति प्रवर्तनीय नहीं थी। प्रतिभूति प्रदान करने की समय सीमा समाप्त हो गई थी। जबकि धारा 17 के तहत आवेदन आदेश IX नियम 13 के तहत आवेदन के साथ दायर किया जा सकता है, प्रतिभूति आवेदन के साथ दायर किया जाना चाहिए। अन्यथा, न्यायालय के लिए यह पता लगाना संभव नहीं होगा कि जो प्रतिभूति दायर की गई थी, वह अधिनियम में थी या नहीं। यह मानने पर भी कि धारा 17 (2) के अनुरूप प्रतिभूति बाद में प्रस्तुत की जा सकती है, बाद में प्रस्तुत प्रतिभूति विधि में प्रवर्तनीय नहीं थी। आदेश IX नियम 13 के तहत आवेदन इस आधार पर खारिज नहीं किया गया है कि प्रतिभूति प्रस्तुत नहीं की गई थी लेकिन इस आधार पर कि 12.05.2014 को दी गई प्रतिभूति (आवेदन 14 सी) वैध प्रतिभूति नहीं थी। इसलिए, यह दलील कि अपीलकर्ता न्यायालय की गलती के कारण पीड़ित नहीं हो सकते, उत्पन्न नहीं होता है।

विश्लेषण; 3 निर्णय; केदारनाथ (उपरोक्त)

15. हम अधिनियम की धारा 17 पहले ही रेखांकित कर चुके हैं। यह ध्यान देना आवश्यक है कि केदारनाथ (उपरोक्त) में, अन्य बातों के साथ-साथ, इस न्यायालय ने निम्नलिखित धारित किया:

"8. प्रावधान को केवल पढ़ने से पता चलता है कि विधायिका ने अनिवार्य रूप में परंतुक की भाषा को अपनाने के लिए चुना है और

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

हम निर्देशिका के रूप में परंतुक की प्रकृति की व्याख्या, निर्वचन और धारित करने का कोई कारण नहीं देखते हैं। लघु वाद न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के आवेदन या उसके फैसले की समीक्षा का आवेदक के साथ डिक्री या निर्णय के अनुसरण में बांधित राशि होना चाहिए। जमा करने के लिए प्रावधान प्रतिभूति प्रदान करने की अनुमति और उसकी प्रकृति के लिए न्यायालय के निर्देश की मांग करने वाले आवेदक द्वारा पिछले आवेदन के अधीन न्यायालय द्वारा अपने विवेक से छूट दी जा सकती है। प्रावधान उस समय सीमा का उपबंध नहीं करता है जिसके द्वारा छूट के लिए आवेदन दायर किया जा सकता है। हमें लगता है कि यह किसी भी समय एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने या समीक्षा और न्यायालय को आवेदन की प्रस्तुति के समय तक दायर किया जा सकता है। इसे पिछले आवेदन के रूप में माना जा सकता है। आवेदक का दायित्व छूट के लिए आवेदन को देना है। इसके बाद अदालत को एक त्वरित आदेश देना होगा। उचित आदेश पारित करने में अदालत की ओर से देरी आवेदक के खिलाफ नहीं मानी जाएगी क्योंकि न्यायालय की गलती के कारण किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए।

9. मौजूदा मामले में, एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए आवेदन के साथ आवेदक द्वारा डिक्री के तहत देय राशि को अदालत में जमा नहीं किया गया था। आवेदक ने जमा राशि के छूट के लिए कोई आवेदन भी नहीं दिया था और डिक्री के निष्पादन के लिए ऐसी प्रतिभूति प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय की अनुमति

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

नहीं मांगी थी जो न्यायालय ने निर्देश दिया हो। इसलिए डिक्री को अपास्त करने का आवेदन अक्षम था। इस पर विचार और इसे स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए थी।

(प्रभाव वर्धित)

राम भरोसे के मामले में पूर्ण पीठ

16. चूंकि अपीलकर्ताओं ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले का भी अवलंब लिया है, इसलिए हम उसे अर्थात् राम भरोसे बनाम गंगा सिंह को संदर्भित करना उचित समझते हैं। उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कर रही थी:

आदेश IX नियम 13 के तहत आवेदन के साथ डिक्री राशि को कवर करने के लिए एक प्रतिभूति बांड था। एक प्रश्न यह था कि क्या आवेदन इस कारण अपोषणीय था कि अधिनियम की धारा 17 के परंतुक के संदर्भ में डिक्री राशि जमा करने या प्रतिभूति दाखिल करने के संबंध में न्यायालय का निर्देश प्राप्त नहीं किया गया था। तीन अलग-अलग राय दी गई। न्यायाधीश मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत राय में, हम इसका उल्लेख करना उचित समझते हैं

"17. अब मैं दूसरे बिंदु पर विचार करता हूं। प्रांतीय लघु वाद न्यायालय अधिनियम की धारा 17 को सीधे तौर पर पढ़ने पर, एक फैसले को रद्द कराने के लिए आवेदक को इन चीजों को करना होगा: सबसे पहले उसे आवेदन करना चाहिए जिस न्यायालय में वह आवेदन करने का प्रस्ताव करता है, उसे यह बताने के लिए कि आवेदक के आवेदन में वर्णित परिस्थितियों में किस प्रकार की प्रतिभूति न्यायालय को उसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

आमतौर पर न्यायालय नकद प्रतिभूति की मांग करेगा, लेकिन यह आवेदक के अभ्यावेदन पर संतुष्ट हो सकता है कि नकद प्रतिभूति से छुटकारा पाया जा सकता है। दुर्लभ मामलों में, जैसा कि नीचे दिए गए झब्बू मिसिर के मामले में मेरे फैसले में मेरे द्वारा दिए गए उदाहरण में, न्यायालय नकद प्रतिभूति लेने से इनकार कर सकता है और अन्य प्रकार की प्रतिभूति लेने पर जोर दे सकता है और विवाद की ही चल संपत्ति पर जोर दे सकता है। जब न्यायालय अपना निर्देश देता है, अर्थात्, क्या आवेदक को नकद प्रतिभूति देनी है या किसी अन्य प्रकार की प्रतिभूति देनी है, तो आवेदक को प्रतिभूति के साथ-साथ डिक्री को रद्द करने के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। फिर उसके कर्तव्य समाप्त हो जाते हैं। दायर की गई प्रतिभूति की अदालत द्वारा जांच की जाएगी, और न्यायालय यह देखेगा कि प्रतिभूति उसके लिए संतोषजनक है या नहीं। फिर एक नोटिस वादीगण को भेजी जाएगी कि क्यों न डिक्री अपास्त कर दी जाए। यही दृष्टिकोण मैंने झब्बू मिसिर बनाम हवलदार तिवारी के मामले में रखा था।

18. यद्यपि नियम (धारा 17, लघु वाद न्यायालय अधिनियम) के अनुसार एक पक्षीय डिक्री अपास्त करने के लिए दिए जाने वाले आवेदन के समय प्रतिभूति की आवश्यकता होती है, इस न्यायालय में मोती लाल राम चंद्र दास बनाम दुर्गा प्रसाद मनु/यूपी/0193/1930: AIR1930A11830 के मामले में यह धारित किया गया कि आवेदन किए जाने के बाद भी प्रतिभूति प्रदान की जा सकती है, बशर्ते प्रतिभूति 30 दिनों की सीमा के

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

भीतर दी जाए। इस निर्णय में मैं भी एक पक्षकार था। यह विचार अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा भी अपनाया गया था : देखें वी.एम. असन मोहम्मद साहिब बनाम एम.ई. रहीम साहिब [1920] 43 मैड. 579, जेनु मुची बनाम बुधिराम मुची [1905] 32 कैल. 339 और नारायण बनाम पूदन मनु/ओयू/0001/1929। इस निर्णय का कारण यह है कि पहले किए गए आवेदन को उस तारीख को माना जा सकता है जिस दिन प्रतिभूति प्रस्तुत की गई थी, क्योंकि परिसीमा की अवधि अभी तक समाप्त नहीं हुई है, और यह एक मात्र औपचारिकता होगी (जिसमें छूट दी जा सकती है) आवेदक निर्देश देने के लिए कि वह उस दिन एक नया आवेदन दाखिल करने जब उसने प्रतिभूति दिया।

XXX

XXX

XXX

20. जहां कोई आवेदक, न्यायालय के निर्देश के लिए औपचारिक रूप से आवेदन किए बिना, एक पक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए आवेदन करता है और इसके साथ प्रतिभूति प्रस्तुत करता है और न्यायालय दूसरे पक्ष को नोटिस जारी करने का निर्देश देता है, तो यह माना जाना चाहिए कि न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि आवेदक ने धारा 17, लघु वाद न्यायालय अधिनियम के तहत अपेक्षित प्रतिभूति प्रस्तुत की है। आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र और हलफनामे (यदि कोई हो) में बताई गई परिस्थितियों में, न्यायालय द्वारा यह आदेश कि नोटिस जारी की जानी चाहिए, को न्यायालय के प्रस्तुत प्रतिभूति के अनुमोदन के रूप में माना जाना चाहिए। हम यह भी मान सकते हैं कि, न्यायालय ने निहितार्थ से आवेदक को निर्देश दिया कि उसे वास्तव में उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रकार की प्रतिभूति प्रस्तुत करनी चाहिए। यह उस पर काबू

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

पाने का अधिक प्रयास नहीं है जिसे कानून के कठिन निर्देश माना जा सकता है। यदि न्यायालय उपरोक्त मामले में नोटिस जारी करने के बजाय, इस प्रार्थना-पत्र को खारिज कर देता है क्योंकि उसका निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है, और यदि परिसीमा पहले ही समाप्त नहीं हुई है, तो यह आवेदक के पास विकल्प होगा कि वह एक नया आवेदन करे और ऐसी प्रतिभूति प्रस्तुत करे जैसा कि न्यायालय निर्देश दे। कोई पक्ष न्यायालय के कार्य से पीड़ित नहीं हो सकता है और इसलिए हमें इस स्थिति को स्वीकार करना चाहिए कि न्यायालय ने वास्तव में प्रस्तुत प्रतिभूति को प्रस्तुत करने के लिए कानून के अनुसार निर्देश दिया है, जहां न्यायालय प्रत्यर्थी के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करने के बजाय निर्देश देता है कि एक नोटिस जारी किया जाना चाहिए।

23. इसलिए मैं जिस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ वह यह है कि उचित मार्ग यह है कि प्रतिभूति की प्रकृति के बारे में उसका निर्देश प्राप्त करने के लिए न्यायालय में आवेदन करे और फिर एक पक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए न्यायालय द्वारा निर्देशित प्रतिभूति की प्रकृति के साथ आवेदन करना है। प्रस्तुत प्रतिभूति को न्यायालय के निर्देशों का पालन करना चाहिए और न्यायालय यह देखेगा कि प्रतिभूति उसकी संतुष्टि के लिए पर्याप्त है। लेकिन जहां न्यायालय बिना किसी प्रश्न के प्रतिभूति को स्वीकार करता है और जारी करने के लिए एक नोटिस का निर्देश देता है, वह आवश्यक निहितार्थ से एक निर्देश देता है कि प्रतिभूति उसके द्वारा निर्देशित प्रकृति की होनी चाहिए और यह कि प्रस्तुत प्रतिभूति उसकी नजर में पर्याप्त हो।”

(प्रभाव वर्धित)

न्यायमूर्ति बॉयज़ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण, जहाँ तक प्रासंगिक है, निम्नलिखित पैराग्राफ में निहित है:

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

"37. इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि आवेदन करने में किसी भी प्रारंभिक दोष को डिफ़ॉल्ट-धारक को नोटिस जारी करने के आवेदक के रास्ते में आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, बशर्ते कि एक आवेदन दायर किया गया हो और आगे यह कि नकद जमा किया गया हो, या, यदि न्यायालय ने ऐसा अनुमति दी है, तो 30 दिनों की समाप्ति से पहले प्रतिभूति दी गई हो। इसलिए इस धारा की एक उचित और व्यावहारिक व्याख्या इस प्रकार है: (1) आवेदक को 30 दिनों के भीतर या तो नकद के साथ या इस कथन के साथ अपना आवेदन दायर करना चाहिए कि वह प्रतिभूति देने के लिए तैयार है (और बाद के मामले में, वह निश्चित रूप से, प्रतिभूति का प्रस्ताव दे सकता है और न्यायालय के निर्देश के लिए पूछ सकता है (2) उस मामले में जहां वह प्रतिभूति देना चाहता है, यदि न्यायालय (प्रतिभूति) का निर्देश देने से इनकार करता है, तो उसे [30 दिनों के भीतर नकद जमा करना होगा, अन्यथा उसका आवेदन [अस्वीकार कर दिया जाएगा। (3) यदि न्यायालय प्रतिभूति का निर्देश देने के लिए सहमत होता है, तो (क) वह (पहले से दी गई प्रतिभूति पर विचार करेगा, यदि इसे देने का प्रस्ताव किया गया है; या (ख) अपनी संतुष्टि के लिए प्रतिभूति बताना चाहिए जो 30 दिनों के भीतर दाखिल की जानी चाहिए। (4) यदि आवेदक वास्तव में कोई निर्देश नहीं मांगता है या यदि आवेदक कोई निर्देश मांगता है, तो न्यायालय वास्तव में कोई निर्देश नहीं देता है, लेकिन वास्तव में न्यायालय नोटिस जारी करता है, तो यह माना जाएगा कि न्यायालय ने नकद जमा करने या जैसा भी मामला हो, दी गई प्रतिभूति को मंजूरी दे दी है। (5) यदि 30 दिनों के भीतर दाखिल किया जाता है और न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करके अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से स्वीकार किया जाता है, तो आवेदन एक अच्छा आवेदन है, हालांकि डिफ़ॉल्ट-धारक के पास विकल्प होगा कि वह प्रतिभूति की प्रकृति में भूमि की पर्याप्तता को चुनौती दे और न्यायालय आदेश 9, नियम 9 के तहत ऐसी

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

अतिरिक्त शर्तें लगाये जो वह उचित समझे। बहस के दौरान यह सुझाव दिया गया है कि यदि न्यायालय अपना निर्देश देने में देरी करता है, या पहले से ही दी गई प्रतिभूति को अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से अनुमोदित करता है, तो कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, जब तक कि आवेदक को निर्देश का पालन करने का उचित अवसर मिलने से पहले परिसीमा की अवधि समाप्त हो गई थी। यह एक ऐसा मामला नहीं है जिस पर हमें अब विचार करना है, लेकिन एक उपयुक्त मामले में न्यायालय के पास स्वयं अधिकार होगा कि वह धारा 151, सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा इसके लिए आरक्षित अपनी अंतर्निहित शक्तियों पर विचार करे और उनका प्रयोग करे।”

(प्रभाव वर्धित)

मुख्य न्यायाधीश सुलेमान ने अन्य न्यायाधीशों के साथ सहमति व्यक्त की कि संशोधन को खारिज किया जाना चाहिए और उन्होंने अन्य बातों के साथ – साथ इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

"46. इसमें कोई संदेह नहीं है कि परंतुक की भाषा सही नहीं है और "अपना आवेदन प्रस्तुत करते समय" अभिव्यक्ति और "जैसा कि न्यायालय निर्देश दे" अभिव्यक्ति के बीच कुछ स्पष्ट विसंगति है। यदि हम दोनों अभिव्यक्तियों को शाब्दिक रूप से लेते हैं, तो दोनों चीजें बिल्कुल एक साथ नहीं हो सकती हैं। लेकिन आवेदन प्रस्तुत करने से पहले या आवेदन प्रस्तुत करने के ठीक बाद न्यायालय का निर्देश प्राप्त किया जा सकता है।

47. यह मेरे लिए बिल्कुल स्पष्ट है कि निर्धारित अवधि के बाद कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, और न ही उस अवधि की समाप्ति के बाद

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

नकद या प्रतिभूति जमा की जा सकती है। न्यायालय को समय बढ़ाने का कोई विवेकाधिकार नहीं दिया गया है। यदि समय के भीतर जमा की गई प्रतिभूति बाद में किसी भी तरह से दोषपूर्ण या असंतोषजनक पाई जाती है, तो न्यायालय के पास अवधि की समाप्ति के बाद इसके लिए एक नए प्रतिभूति को प्रतिस्थापित करने का निर्देश देने की कोई शक्ति नहीं है।

52. बेशक, यह सवाल कि क्या प्रतिभूति पर्याप्त और संतोषजनक है, 30 दिनों की अवधि के दौरान अंततः निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में, वादी डिक्री-धारक बाद में आ सकता है और इसकी पर्याप्तता को चुनौती दे सकता है। केवल यह तथ्य कि बाद में यह पाया जाता है कि प्रतिभूति पर्याप्त थी, समय के भीतर प्रतिभूति की जमा राशि को किसी भी तरह से दोषपूर्ण नहीं बनाएगा।”

भगवानदास (उपरोक्त)

17. जहाँ तक भगवानदास (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय का संबंध है, प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार थे:

मुकदमे पर 06.08.1977 को एकपक्षीय आज्ञा पारित की गयी। अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 17 के परन्तुक के तहत उक्त दिन एक प्रार्थना-पत्र दिया कि उसे डिक्री के तहत देय नकदी के बदले डिक्री के निष्पादन के लिए ऐसी प्रतिभूति प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये। उसी दिन, न्यायालय ने उसे इस शर्त के अधीन अनुमति प्रदान की वह आंशिक रूप से नकद जमा करे और शेषराशि के लिए प्रतिभूति दे। इसके पश्चात् 31.08.1977 को, उन्होंने एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए आदेश IX नियम 13 के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने 31.08.1977 को नकद भी जमा किया।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

21.09.1977 को प्रतिभूति बंधपत्र में इंगित एक दोष के आधार पर, न्यायालय ने अपीलकर्ता को त्रुटि को ठीक करने का निर्देश दिया, जिसमें प्रतिभूति बंधपत्र में मुहर की कमी शामिल थी। अपीलकर्ता ने उक्त आदेश का अनुपालन किया। इन तथ्यों में, न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि अपीलकर्ता का आवेदन इस आधार पर गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था कि बंधपत्र में कानूनी दुर्बलता थी क्योंकि स्टाम्प अधिनियम के तहत उस पर मुहर लगाने के बजाय उस पर Rs.2/के न्यायालय शुल्क के साथ मुहर लगाई गई थी।

हमारा निष्कर्ष

18. जब अधिनियम की धारा 17 के परंतुक के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ, लघु वाद न्यायालय द्वारा एकपक्षीय डिक्री पारित की जाती है, तो आवेदक, जो एक-पक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है, निम्नलिखित कार्य करने के लिए बाध्य है:

क. उसे डिक्री के तहत देय राशि अदालत में जमा करनी होगी;

ख. वैकल्पिक रूप से, उसे इस संबंध में अपने द्वारा किए गए 'पिछले आवेदन पर' डिक्री के निष्पादन के लिए प्रतिभूति देनी चाहिए;

19. केदारनाथ (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, धारा 17 के परंतुक में 'पिछले आवेदन पर' शब्दों को एक आवेदन समझा गया है, जिसे सीपीसी के आदेश IX नियम 13 के तहत आवेदन के साथ किया जा सकता है। 06.05.2014 को, उसी दिन न्यायालय ने 19.07.2014 को तारीख के रूप में नियत करते हुए नोटिस जारी करने का आदेश दिया। निष्पादन की कार्यवाही 19.07.2014 तक रोक दी गई थी। वास्तव में यह कहा जा सकता है कि अधिनियम की धारा 17 के परंतुक के अनुपालन के बाद ही नोटिस जारी

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

करने की अनुमति थी। अपीलकर्ताओं ने उसी दिन सीपीसी के आदेश IX नियम 13 और अधिनियम की धारा 17 के तहत एक आवेदन दायर किया था। यदि धारा 17 के तहत आवेदन नकद जमा के साथ था, तो आदेश IX नियम 13 के तहत आवेदन, वास्तव में, पोषणीय होता। धारा 17 के तहत दायर 06.05.2014 के आवेदन में विवाद उत्पन्न हुआ, अपीलकर्ताओं ने Rs.98, 624/- की कुल राशि में से Rs.50, 000/- की राशि के लिए प्रतिभूति जमा करने/प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी थी। उक्त आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। 12.05.2014 को, अपीलकर्ता ने एक प्रार्थनापत्र (14 सी) प्रस्तुत किया। उसमें, अपीलकर्ता ने एक दुकान कक्ष के रूप में प्रतिभूति प्रस्तुत की, जिसमें श्री अभिषेक दीक्षित, इस अपील में प्रत्यर्थी, किरायेदार थे, लेकिन नगर निगम, लखनऊ मालिक था। उक्त आवेदन पर, न्यायालय ने 24.05.2014 को एक आदेश पारित किया। यह इस प्रकार है:-

"आदेश

24.05.2014

आज निर्णीत ऋणी डॉ. आरती दीक्षित की ओर से प्रतिभूति को अभिलेख पर लेने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आदेश पारित किया गया। अनुमति प्रदान की जाती है।"

20. अपीलार्थियों का तर्क यह प्रतीत होता है कि दिनांक 06.05.2014 का आवेदन क्रम में था क्योंकि यह आदेश IX नियम 13 के तहत आवेदन के साथ दायर किया गया था और यह केदारनाथ (पूर्वोक्त) में निर्धारित कानून के अनुरूप है। एक बार ऐसा आवेदन दायर होने के बाद, आदेश पारित करना न्यायालय का कतव्य था। अपीलार्थियों के अनुसार न्यायालय का

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

कर्तव्य था कि वह दर्शित करें कि क्या प्रतिभूति देने की अनुमति प्रदान करने के लिए प्रस्तुत आवेदन को अनुमति दी गई थी और प्रतिभूति किस रूप में दी जानी चाहिए। चूंकि कोई आदेश पारित नहीं किया गया था, इसलिए अपीलकर्ताओं ने अपनी ओर से आवेदन दायर किया और किराए की दुकान के रूप में प्रतिभूति प्रस्तुत करने का इरादा था। उच्च न्यायालय ने दिनांक 03.12.2015 के अपने आदेश में पक्षकारों के अधिवक्ता की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि 25.04.2015 को न्यायालय द्वारा जमानत स्वीकार कर ली गई थी और मामले पर शीघ्रता से निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था और उक्त आधार पर विचारण न्यायालय ने आदेश IX नियम 13 के अधीन आवेदन को अनुमति दी थी। यह आदेश एडीजे द्वारा दिनांक 01.08.2017 के आदेश द्वारा इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि दिनांक 24.05.2014 के आदेश का मतलब यह नहीं था कि प्रतिभूति स्वीकार कर ली गई थी। विचारण न्यायालय को दिनांक 06.05.2014 के आवेदन पर इसके गुणावगुण के आधार पर विचार करना था। आदेश इस निष्कर्ष के बाद दिया गया था कि दिनांक 12.05.2014 के आवेदन पर प्रतिभूति को स्वीकार करते हुए कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपीलार्थियों ने दिनांक 01.08.2017 के आदेश को चुनौती नहीं दी। दिनांक 01.08.2017 के आदेश के अनुसार, विचारण न्यायालय को दिनांक 11.02.2019 के आदेश द्वारा अपीलकर्ताओं के मामले में कोई मेरिट नहीं मिली और धारा 17 के अन्तर्गत दिनांक 06.05.2014 के तहत दायर आवेदन के साथ-साथ दिनांक 12.05.2014 के आवेदन को भी खारिज कर दिया और प्रतिभूति खारिज कर दी गयी। इसी आदेश को एडीजे द्वारा दिनांक 26.02.2021 के आदेश द्वारा और फिर उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश द्वारा फिर से बरकरार रखा गया है।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

21. अधिनियम की धारा 17 की शाब्दिक व्याख्या पर, जो धारा 17 के तहत आवेदन को आदेश IX नियम 13 के तहत आवेदन से पहले दायर किए जाने पर विचार करता है, क्या अपीलकर्ताओं का मामला बनता है। पहला प्रश्न, जिस पर हमें विचार करना होगा, वह यह है कि क्या आवेदन धारा 17 के परंतुक के अनुरूप है। क्या आवेदक ने 06.05.2014 को कोई प्रतिभूति प्रस्तुत की थी? इसका उत्तर केवल नकारात्मक ही हो सकता है। अपीलकर्ता ने इस प्रकार जमा राशि से छूट देने की मांग नहीं की। [केदारनाथ (पूर्वोक्त) के प्रस्तर-9 को देखें]। अतः अपीलकर्ता ने उक्त अर्थ में धारा 17 की अनिवार्य अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया था। अगली प्रार्थना में यह अनुरोध किया गया था कि अपीलकर्ता को धारा 17 के अनुरूप डिक्री के तहत देय Rs.50, 000/- की राशि के लिए प्रतिभूति जमा करने/प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये? धारा 17 के तहत ऐसी प्रार्थना पर न्यायालय का क्या कर्तव्य था? क्या स्थानीय निकाय से संबंधित किराए की दुकान वाली प्रतिभूति को प्रस्तुत करना धारा 17 का पर्याप्त अनुपालन था? दिनांक 12.05.2014 के आवेदन और दिनांक 25.05.2014 के आदेश का क्या प्रभाव है जो स्पष्ट रूप से 06.05.2014 (आदेश IX नियम 13 के तहत आवेदन की तारीख) के बाद है।

22. आक्षेपित आदेश में उच्च न्यायालय ने पाया कि मुचलके से छूट देने के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था और इसे अपीलार्थियों के खिलाफ पढ़ा जाएगा। उच्च न्यायालय तीन मौकों पर इस टिप्पणी पर कायम रहा। हमें यह अवश्य देखना चाहिए कि अधिनियम की धारा 17 के परंतुक में यह विचार किया गया है कि एक पक्षीय डिक्री को रद्द करने की मांग करने वाले आवेदक को अन्य बातों के साथ-साथ या तो प्रश्नगत राशि जमा करनी होगी या प्रतिभूति देनी होगी। केदारनाथ (उपरोक्त) में इस न्यायालय ने जो निर्धारित किया था, वह यह था कि

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

जमा करने के प्रावधान को न्यायालय द्वारा छोड़ा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, आवेदक जमा राशि से छूट की मांग कर सकता है और ऐसी प्रतिभूति प्रस्तुत करने के लिए अनुमति ले सकता है जैसा कि न्यायालय निर्देश दे। इसलिए, उच्च न्यायालय इस आधार पर कार्यवाही में सही नहीं था कि अपीलकर्ताओं ने मुचलके (प्रतिभूति) से छूट के लिए कोई आवेदन नहीं किया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक स्थान पर, उच्च न्यायालय कहता है कि जमानत या प्रतिभूति के रूप में जमा की जाने वाली राशि की छूट के लिए कोई प्रार्थना नहीं की गयी है। अपीलार्थियों ने प्रार्थना की कि वे Rs.50000/- की प्रतिभूति जमा करने/प्रस्तुत करने की अनुमति दें जो डिक्रीत राशि का हिस्सा था। इसे विवक्षित रूप से धारा 17 के अर्थ के भीतर एक निर्देश की मांग के रूप में माना जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक आवेदक उस प्रतिभूति का प्रस्ताव भी कर सकता है जो वह देना चाहता है। वास्तव में, आम तौर पर, सीपीसी के आदेश IX नियम 13 के तहत आवेदन से पहले नकद जमा करने से छूट के लिए और प्रतिभूति प्रस्तुत करने के निर्देश के लिए एक आवेदन किया जाना चाहिए। इस पर पारित आदेश पर, आवेदक को उसी का पालन करना होगा और उस समय प्रतिभूति प्रस्तुत करनी होगी जब वह आदेश IX नियम 13 के तहत आवेदन करता है। चूंकि धारा 17 के तहत एक आवेदन जो वास्तव में केवल नकद जमा करने के अभाव में ही आवश्यक है, आदेश IX नियम 13 के तहत आवेदन की तारीख तक दायर किया जा सकता है जैसा कि केदारनाथ (पूर्वोक्त) में अभिनिर्धारित किया गया है, सामान्यतः ऐसे आवेदन के साथ प्रतिभूति उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके बाद यह पहलू सामने आता है कि आदेश IX नियम 13 के तहत आवेदन 30 दिनों के भीतर दायर किए जा सकते हैं जैसा कि परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 123 में उपबन्धित है। निस्संदेह, जमा या प्रतिभूति 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए जैसा कि राम भरोसे

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

(पूर्वोक्त) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है। यह इस आधार पर है कि आवेदन आदेश IX नियम 13 के तहत 30 वें दिन तक किया जा सकता है, लेकिन साथ ही, परन्तुक की शर्तें, अर्थात्, जमा या प्रतिभूति आदेश IX नियम 13 के तहत आवेदन प्रस्तुत करते समय प्रस्तुत की जानी चाहिए। लेकिन यदि आदेश IX नियम 13 के तहत आवेदन के साथ धारा 17 के तहत आवेदन दायर किया जा सकता है, तो यदि प्रतिभूति प्रस्तुत करने के लिए निर्देश की आवश्यकता है और न्यायालय अनुमति और समय देता है, तो आदेश IX नियम 13 के तहत आवेदन की तारीख के बाद ही प्रतिभूति प्रस्तुत करना संभव हो सकता है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा केदारनाथ (पूर्वोक्त) में अभिनिर्धारित किया गया है, न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह उस आवेदन पर शीघ्र आदेश पारित करे जो धारा 17 के अधीन दायर किया जा सकता है जो आदेश IX नियम 13 के अधीन आवेदन की तारीख का हो सकता है। न्यायालय की ओर से कोई भी देरी आवेदक पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकती है।

23. इस मामले में, अपीलार्थियों ने अधिनियम की धारा 17 के तहत और आदेश IX नियम 13 के तहत उसी दिन, अर्थात् 06.05.2014 को आवेदन दायर किया। आदेश IX नियम 13 के तहत आवेदन, निष्पादन कार्यवाही में 05.05.2014 को प्राप्त एक पक्षीय डिक्री के ज्ञान पर आधारित है। 06.05.2014 को किसी प्रतिभूति की पेशकश नहीं की गई थी। यद्यपि इस प्रकार का निर्देश अभिव्यक्त रूप से नहीं माँगा गया था, लेकिन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के लिए अनुमति मांगी गई थी, यह कहा जा सकता है कि वस्तुतः अपीलार्थियों ने धारा 17 के परन्तुक के अर्थ के भीतर निर्देश की मांग की थी। हमने पहले ही पाया है कि उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में त्रुटि की थी कि अपीलकर्ताओं ने

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

प्रतिभूति से छूट की मांग नहीं की थी और इसलिए स्पष्ट रूप से अपीलकर्ताओं के खिलाफ ऐसा ही माना था। जब अपीलकर्ताओं ने प्रतिभूति प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी, यदि अनुमति दी गई थी और प्रतिभूति प्रस्तुत करने का निर्देश उसी तारीख को दिया गया था और समय के भीतर इसका पालन किया गया था, तो अपीलार्थी धारा 17 का अनुपालन कर रहे थे। धारा 17 के तहत दिनांक 06.05.2014 के आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। 6 दिनों के भीतर, 12.05.2014 को, अपीलकर्ताओं ने स्वयं प्रतिभूति प्रस्तुत करने का इरादा जताया। मुचलका (प्रतिभूति) अभिषेक दीक्षित (तीसरा रिट याचिकाकर्ता जो अपील में 7 वां प्रत्यर्थी है) का था। हालांकि प्रतिभूति एक दुकान थी। दुकान का स्वामित्व प्रतिभू के पास नहीं था। लखनऊ नगर निगम इसका मालिक था। प्रतिभू एक किरायेदार था। धारा 17 के तहत प्रतिभू द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रतिभूति को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के प्रावधानों के तहत लागू किया जाना है जैसा कि अधिनियम की धारा 17 (2) में विचार किया गया है। सीपीसी की धारा 145 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि प्रतिभू द्वारा प्रदान की गई प्रतिभूति को संपत्ति की बिक्री को प्रभावित करके लागू किया जा सकता है। इस मामले में अदालतों ने अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिभू के माध्यम से अपीलार्थियों द्वारा प्रदान की गई प्रतिभूति धारा 17 (2) के संबंध में कानून में ग्राह्य नहीं है क्योंकि दुकान नगर निगम, लखनऊ की है और इसे प्रतिभूति को लागू करने के लिए नहीं बेचा जा सकता है।

24. हालांकि यह सच है कि 06.05.2014 को धारा 17 के तहत आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया था, तथ्य यह है कि अपीलार्थियों ने खुद ही प्रतिभूति प्रस्तुत की जैसा कि कहा गया है। उच्च न्यायालय का तर्क है कि इस प्रकार प्रदान की गई प्रतिभूति दो आधारों पर अस्वीकार्य थी। सबसे पहले, यह

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

06.05.2014 को आदेश IX नियम 13 के तहत आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया था। दूसरा, यह पाया गया है कि यह कानून में ग्राह्य नहीं था।

25. यह सच है कि उच्च न्यायालय ने 03.12.2015 दिनांकित आदेश में यह पाया कि "अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिभूति को स्वीकार किया गया था।" यह वादी के अधिवक्ता की दलीलों को स्वीकार करने के माध्यम से है। इसी आधार पर मामले को वापस प्रतिप्रेषित कर दिया गया था। प्रतिप्रेषण के बाद, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों द्वारा दायर आवेदन और आदेश IX नियम 13 के तहत आवेदन को भी स्वीकार कर लिया। जैसा कि हमने ध्यान दिया है इसे एडीजे द्वारा रद्द कर दिया गया है और दिनांक 01.08.2017 के आदेश द्वारा मामले वापस प्रतिप्रेषित कर दिए गए हैं। इस आदेश को अपीलार्थियों द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी। इसके बाद अदालतों ने समान रूप से पाया कि धारा 17 का पालन नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय के दिनांक 03.12.2015 के पहले के आदेश को यह पाते हुए उलट दिया गया कि पहले दौर में उच्च न्यायालय के समक्ष एक व्यापक बयान था कि प्रस्तुत की गई प्रतिभूति स्वीकार कर ली गई थी। उच्च न्यायालय ने आगे पाया कि वास्तव में 12.05.2014 दिनांकित आवेदन में की गई प्रार्थना केवल प्रतिभूति को अभिलेख पर लेने के लिए थी। दिनांक 25.04.2014 के आदेश से केवल यह पता चलता है कि केवल प्रतिभूति को अभिलेख पर लिया गया था। यह भी पाया गया कि दिनांक 12.05.2014 का आवेदन 06.05.2014 के बाद दायर किया गया था और यह धारा 17 के तहत एक वैध आदेश का आधार नहीं हो सकता है।

26. हम न्यायालयों से सहमत हैं कि अपीलार्थियों द्वारा किराए की दुकान के रूप में दी गई प्रतिभूति को कानूनी रूप से प्रतिभूति के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह बिल्कुल स्पष्ट है। दिनांक 24.05.2014 के आदेश से यह स्पष्ट नहीं

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

है कि न्यायालय ने प्रतिभूति की पर्याप्तता पर अपने मस्तिष्क का प्रयोग किया था या कि क्या यह स्वीकार करने योग्य प्रतिभूति थी। यदि प्रतिभूति दी जाती है, जो बाद में अस्वीकार्य पाई जाती है, भले ही वह परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 123 के अर्थ के भीतर 30 दिनों के भीतर हो, तो यह धारा 17 का अनुपालन नहीं करेगी [राम भरोसे (पूर्वोक्त) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ की टिप्पणियों को देखें]।

27. हालांकि यह सच है कि न्यायालय की ओर से 06.05.2014 दिनांकित आवेदन पर आदेश पारित करने में विफलता हो सकती है, अपीलकर्ताओं ने इस मामले में 12.05.2014 को प्रतिभूति प्रस्तुत की। इसलिए हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि डिक्री की जानकारी की तारीख के 30 दिनों के भीतर, जैसा कि अपीलार्थियों द्वारा अभिकथित है, लेकिन आदेश IX नियम 13 के तहत आवेदन की तारीख के बाद, अपीलार्थियों ने प्रतिभूति प्रस्तुत कर दी है। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि 06.05.2014 को न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। यहां तक कि प्रतिभूति पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हुए भी हम पाएंगे कि यह कानून में स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। उच्च न्यायालय के दिनांक 03.12.2015 के आदेश के प्रभाव को अधिवक्ता द्वारा दी गई रियायत के संदर्भ में समझा जाना चाहिए और यह अधिनियम की धारा 17 के तहत कानून की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता है। हम इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हो सकते कि अपीलार्थियों ने दिनांक 01.08.2017 के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के आदेश को चुनौती नहीं दी। विचारण न्यायाधीश इससे बाध्य थे क्योंकि अपीलार्थियों ने दिनांक 01.08.2017 के आदेश को चुनौती नहीं दी थी। तथ्य यह है कि अपीलकर्ताओं ने, प्रतिप्रेषण की कार्यवाही में भाग लेने के बाद दिनांक 01.08.2017 के आदेश को एक रिट में चुनौती दी, ऐसा प्रतीत होता है कि

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

अपीलकर्ताओं के मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। यह विलंबित चुनौती के कारण और इसमें शामिल पहले के आदेश की प्रकृति दोनों के कारण है।

28. उक्त तथ्यों से, दिनांक 01.08.2017 के आदेश को ध्यान में रखते हुए और प्रतिभूति को अस्वीकार्य पाए जाने से, हम विशेष अनुमति द्वारा उत्पन्न अपील में कोई मेरिट नहीं पाते हैं। अपील खारिज मानी जाएगी। लागत के लिए कोई आदेश नहीं होगा।

.....
[न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ]

.....
[न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय]

नई दिल्ली

दिनांक: 18 मई 2023.

उद्घोषणा
“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”